ऑन लाईन नं.RCMS2022/322

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : डा. हरीतिमा, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 44/2022

श्रीसंदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री मुरारी लाल मित्तल पुत्र श्री काशीराम मित्तल निवासी 2345, अग्रसेन नगर, , श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर। —विक्रेता एवं मालिक—
   मै0 बालाजी एन्टरपस्राईजेज 1—ए, छोटी ओल्ड धानमण्डी, श्रीगंगानगर।
2. आयुषी गुप्ता पुत्री श्री मुकेश गुप्ता —प्रोपराइटर—
   मैसर्सः—**RAJENDER TRADING COMPANY Shop No.2-3, Ganpati Nagar, Gali No.03, Sri Ganganagar.**

3- मैसर्सः—**RUSHABH TRADING COMPANY ITO . OPP JAY HIND SCHOOL, NIKOL ODHAV ROAD, NIKOL, AHMEBABAD.**

4- मैसर्सः—**SHREEMUL DAIRY PVT. LTD, NR Umar dashi River, Kandra Bridge Kondor, Planpur banas Kantha Gujrat.**

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51,58

निर्णय दिनांक : 18.05.2023

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा जरिये राज0 राज—पत्र अधिसूचना दिनांक 31.07.2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिसुचित किया है जिसमें क्रम संख्या 57 पर मेरा नाम अंकित है (सत्यापति छायाप्रति सलंग्न है)।

श्री संदीप अग्रवाल को आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा जरिये राज0 राज—पत्र अधिसूचना दिनांक 18.08.2011 के द्वारा कार्य क्षेत्र अधिसूचित किया गया एवं आदेश क्रमांक 308 दिनांक 04.09.2017 एवं 321 दिनांक 13.09.2017 के द्वारा मेरा कार्य क्षेत्र केन्द्रीय दल निदेशालय जयपुर किया गया था जिसके अनुसार समस्त राजस्थान मेरा कार्यक्षेत्र है। (सत्यापति छायाप्रति सलंग्न है)।

श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.06.2022 को दोपहर पूर्व 11.00 ए.एम. पर मै0 बालाजी एन्टरपस्राईजेज 1—ए, छोटी ओल्ड धानमण्डी, श्रीगंगानगर पर पहुचां व अपना परिचय दिया, इस समय संस्थान पर विक्रेता एवं मालिक की हैसियत से । वहा मुरारी लाल मिततल पुत्र श्री काशीराम मिततल निवासी 2345, अग्रसेन नगर, , श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर उपस्थित मिला। मुरारी लाल मिततल ने स्वयं को मैसर्स बालाजी

ऑन लाईन नं.RCMS2022/290

एन्टरपराईजेज 1–ए, छोटी ओल्ड धानमण्डी, श्रीगंगानगर खुद को खाद्य विक्रेता एवं मालिक जाहिर किया एवं मौके पर प्रस्तुत फूड लोकेसेस एवं अन्य दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत कि जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर संस्थान में एक कार्टन में 30 जार पैक प्रत्येक 500 एमएल **गांय का घी (श्री मूल)** को आम जनता के विक्रय हेतु रखा था में से आवमानक का शक होने पर इसकी जांच एफएसएस एक्ट के तहत कराने के लिये 4 जार पैक प्रत्येक 500 एमएल **गांय का घी (श्री मूल)** वास्ते नमूना जाच संख्या **के–1529** के एफएसए 2006 एवंस नियम 2011 के नियमानुसार नमूनीकरण हेतु खरीदने के लिए रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया। प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता एवं मालिक व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना खाद्य पदार्थ **गांय का घी (श्री मूल)** वास्ते जांच एफएसएस एक्ट के तहत खरीद कर रहा हूँ। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है। रूबरू गवाह के सामने विक्रेता एवं मालिक को रूपये 700/– नगद देकर उसमें से 4 जार पैक प्रत्येक 500 एमएल **गांय का घी (श्री मूल)** वास्ते नमूना जाच हेतु खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे एवं गवाह के हस्ताक्षर तथा विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर है, जिसकी असल प्रति सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं मालिक व गवाह के रूबरू खरीदशुदा 4 जार पैक प्रत्येक 500 एमएल **गांय का घी (श्री मूल)** के प्रत्ये कमूल भाग पर लेबल चिपकायें जिस पर डी.ओ.के कोड व सीरियल नम्बर **K-1529** खाद्य पदार्थ **गांय का घी (श्री मूल)** का विवरण एवं नमूना लेने का सीान एवं दिनांक अंकित की ओर लेबलों पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवायें तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटा और कागज के सिरों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा स्लिप कोड अनुक्रमांक **K-1529** को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्त्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य विक्रेता एवं मालिक श्री मुरारी लाल मित्तल ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी. एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/745/एक्ट/2022/745 दिनांक 28.06.2022 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–1529 गांय का घी (श्री मूल) अमानक स्तर** Sub-Standard Food एवं

Contravention Regulation होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त मुरारी लाल मित्तल पुत्र श्री काशीराम मित्तल निवासी 2345, अग्रसेन नगर, , श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **गांय का घी (श्री मूल)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)/51,58 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 06.12.2022 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने जरिये अधिवक्ता अपने जवाब में कथन किया है कि अनवान प्रकरण में अन्तर्गत धारा 26(2)(ii)/51,58 एफ.एस.एस.ए. 2006 सपठित नियम व विनियम 2011 के अन्तर्गत प्रार्थी फर्म के विरूद्व अमानक गांय का घी विक्रय करने के उल्लधंन पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष एक प्रकरण प्रस्तुत किया हुआ है। उक्त प्रकरण में आरोपित धाराओं को प्रार्थी फर्म लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करती है। उक्त अमानक गांय का घी होने का प्रार्थी फर्म को जानकारी नहीं होने के कारण से उक्त घी का विक्रय किया गया है। प्रार्थी फर्म विश्वास दिलाती है कि भविष्य में उसकी फर्म पर कभी भी अमानक घी का विक्रय नहीं किया जायेगा। अतः जवाब इस्तगासा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी फर्म के प्रति नरमी का रूख रखते हुए आगामी कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **गांय का घी (श्री मूल)** का सैम्पल **के–1529** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/745/एक्ट/2022/745 दिनांक 28.06.2022 द्वारा Sub-Standard Food एंव Contravention Regulation होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)/51/58 उल्लंघन किया है तथा जुर्माने योग्य अपराध है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51,58 में निर्धारित है।

अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि अनवान प्रकरण में अन्तर्गत धारा 26(2)(ii)/51,58 एफ.एस.एस.ए. 2006 सपठित नियम व विनियम 2011 के अन्तर्गत प्रार्थी फर्म के विरूद्व अमानक गांय का घी विक्रय करने के उल्लधंन पर श्रीमान न्यायालय के समक्ष एक प्रकरण प्रस्तुत किया हुआ है। उक्त प्रकरण में आरोपित धाराओं को प्रार्थी फर्म लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करती है। उक्त अमानक गांय का घी होने का प्रार्थी फर्म को जानकारी नहीं होने के कारण से उक्त घी का विक्रय किया गया है। प्रार्थी फर्म विश्वास दिलाती है कि भविष्य में उसकी फर्म पर कभी भी अमानक घी का विक्रय नहीं किया जायेगा। अतः जवाब इस्तगासा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी फर्म के प्रति नरमी का रूख रखते हुए आगामी कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "**Cow Ghee (Shreemul)** "**Code No and Sr. No. K-1529 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-standard Food as it is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contains foreign fat (Fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee.) The sample also contravenes Regulation No.2.3.7(2) of Fodd Safety and standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 due to presence of foreign fat.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51,58 के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 5,000—00 (अखरे रूपये पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त **गांय का घी (श्री मूल)** का विधिक प्रावधानानुसार व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **गांय का घी (श्री मूल)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. हरीतिमा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर